

# कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला 30ब0 कांकर (छ0ग0)

विभाग से संचालित केन्द्र पोषित योजनाओं (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) की जानकारी

क्र0	योजना का नाम	इकाई	प्रति इकाई लागत राशि	सहायक अनुदान राशि	भौतिक प्रगति		वित्तीय		हितग्राही संख्या	योजना का संक्षिप्त विवरण।	लक्ष्य के विरुद्ध कम प्रगति के कारण
					लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>जैविक खेती के अंगिकरण</b>									योजना अंतर्गत भूस्वामी कृषकों को अधिकतम 4 हे0 क्षेत्र में प्रति हितग्राही हेतु कुल लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान रु. 10000.00 प्रति हे0 तथा 3 वर्षों के लिए प्रथम वर्ष 4000.00 रु. एवं द्वितीय तथा तृतीय वर्ष रु. 3000-3000.00 देने का प्रावधान है।	विकासखण्ड कांकर एवं नरहरपुर के कृषकों के प्रक्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुबंधित संस्था इक्वा एवं ए.एफ. सी. कम्पनी द्वारा कार्य कराया जा रहा है। जो की कार्य प्रगति पर है।
	तृतीय वर्ष 30%	हेक्टर	0.1000	0.0300	500	-	-	-	-		
	द्वितीय वर्ष 30%		0.1000	0.0300	500	-	-	-	-		
	तृतीय वर्ष 30%		0.1000	0.0300	500	-	-	-	-		
	<b>जैविक खेती के प्रमाणिकरण</b>										
	तृतीय वर्ष 40%	CL	5.00	2.00	10	-	-	-	-		
	द्वितीय वर्ष 30%	CL	5.00	1.50	10	-	-	-	-		
	तृतीय वर्ष 40%	CL	5.00	2.00	10	-	-	-	-		
2	<b>प्रति हार्वेस्ट अधोसंरचना</b>										
	शेडनेट हाउस निर्माण (प्रति इकाई 4000 वर्ग मीटर)	संख्या	24.40	14.20	3	-	-	-	-	शेडनेट हाउस अंतर्गत हितग्राही कृषकों को कुल लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रति हितग्राही 4000 वर्ग मीटर में शेडनेट हाउस निर्माण हेतु देने का प्रावधान है।	कृषकों का चयन किया जा रहा है कार्य प्रगति पर है
	प्रिजर्वेशन यूनिट (लो-कास्ट)	संख्या	2.00	1.00	50	-	-	-	-	एकीकृत कटाई पशु प्रबंधन अंतर्गत पिजर्वेशन इकाई के कुल लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रति हितग्राही कृषकों को 1.00 लाख प्रति यूनिट देने का प्रावधान है।	कृषकों का चयन किया जा रहा है कार्य प्रगति पर है
3	<b>वलयू एडिसन लिंक प्रोजेक्ट्स</b>										

क्र०	योजना का नाम	इकाई	प्रति इकाई लागत राशि	सहायक अनुदान राशि	भौतिक प्रगति		वित्तीय		हितग्राही संख्या	योजना का संक्षिप्त विवरण।	लक्ष्य के विस्द्ध कम प्रगति के कारण
					लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	पल्पराईजर	संख्या	1.09	0.545	50	-	-	-	-	योजना अंतर्गत पल्पराईजर इकाई के कुल लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रति हितग्राही को 54500 प्रति यूनिट दिया जाता है।	कृषकों का चयन किया जा रहा है कार्य प्रगति पर है
	पैक हाउस	संख्या	4.00	2.00	25	-	-	-	-	योजना अंतर्गत पैक हाउस 9 मी.× 6 मी. आकार वाली प्रति यूनिट पूजीगत लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रति हितग्राही कृषकों को 2.00 लाख प्रति यूनिट देने का प्रावधान है।	कृषकों का चयन किया जा रहा है कार्य प्रगति पर है
	HDPE तारपोलिन साईज 8x15 फिट	संख्या	0.3580	0.179	20	-	-	-	-	HDPE तारपोलिन साईज 8x15 फिट वितरण अंतर्गत प्रति हितग्राही कृषकों को कुल लागत पर 50	कृषकों का चयन किया जा रहा है कार्य प्रगति पर है
4	<b>फल क्षेत्र विस्तार :-</b>										
	ड्रेगन फुट,	हेक्टर	0.3535	0.1061	10	-	-	-	-	फल क्षेत्र विस्तार अंतर्गत कृषकों के आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शासन द्वारा कुल लागत पर 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रु. ड्रेगन फुट में 10610/एप्पल बेर 13130/केला 37500 तथा सीताफल	चयनित कृषकों के प्रक्षेत्र में रोपण कार्य प्रगति पर है। केला पौध रोपण के लिए कृषकों का चयन किया जा रहा है।
	एप्पल बेर,		0.4375	0.1313	10	-	-	-	-		
	केला		1.2500	0.3750	25	-	-	-	-		
	सीताफल		0.9320	0.2796	75	-	-	-	-		
5	सब्जी क्षेत्र विस्तार:- आलू एवं प्याज	हेक्टर	0.50	0.20	95	0	-	-	-	सब्जी क्षेत्र विस्तार अंतर्गत कृषकों के आय में अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से शासन द्वारा कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रु 20000 प्रति हे० देने का प्रावधान है।	कृषकों का चयन किया जा रहा है कार्य प्रगति पर है

क्र०	योजना का नाम	इकाई	प्रति इकाई लागत राशि	सहायक अनुदान राशि	भौतिक प्रगति		वित्तीय		हितग्राही संख्या	योजना का संक्षिप्त विवरण।	लक्ष्य के विस्द्ध कम प्रगति के कारण
					लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	मसाला क्षेत्र:- विस्तार हल्दी एवं धनिया	हेक्टर	0.30	0.12	170	100	-	-	267	मसाला क्षेत्र विस्तार अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्र में मसाला क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन द्वारा कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रु. 1200 प्रति हे० देने का प्रावधान है।	हल्दी बीज चयनित कृषकों को वितर्ण कर रोपण कराया गया है। धनिया क्षेत्र विस्तार अंतर्गत कृषकों का चयन किया जा रहा है कार्य प्रगति पर है
7	संकर सब्जी बीज मिनीकीट वितरण	संख्या	0.0125	0.125	1200	1200	-	-	1200	संकर सब्जी मिनीकीट वितरण हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रति हितग्राही कृषकों को 1250 रु. का संकर सब्जी मिनीकीट (5 प्रकार के सब्जी बीज) नि:शुल्क प्रदाय किया जाता है।	सब्जी मिनीकीट बीज सातो विकासखण्ड के चयनित कृषकों को वितरण कर लाभवानित किया गया।
8	कलमी:- बैंगन/टमाटर बीज प्रदर्शन	संख्या	0.40	0.30	60	-	-	-	-	योजना अंतर्गत कलमी बैंगन/टमाटर बीज प्रदर्शन इकाई के तहत कुल लागत पर 75 प्रतिशत अनुदान प्रति हितग्राही कृषकों को 30000 प्रति प्रदर्शन देने का प्रावधान है।	कृषकों का चयन किया जा रहा है चयनित पश्चात कृषकों के प्रक्षेत्र में कलमी-बैंगन/ टमाटर बीज का प्रदर्शन लिया जावेगा

सहायक संचालक उद्यान  
जिला उ०ब० कांकेर (छ०ग०)